न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 28/2020

जीसीएमएस नम्बर : 2020/00084

प्रार्थीगणः— **बनाम** **अप्रार्थीगण :—**

लाबूराम पुत्र केनाराम जाति देवासी निवासी वणदार तहसील रानी जिला पाली राज.

1. स्व. गटिया पत्नी तोलाराम देवासी जाति देवासी निवासी वणदार ढाणी तहसील रानी जिला पाली के कायम मुकाम
   1/1 शैतानाराम पुत्र स्व. गटिया पिता तोलाराम
   1/2 नथाराम पुत्र स्व. गटिया पिता तोलाराम
   जतिगण देवासी निवासीगण वणदार ढाणी तहसील रानी जिला पाली
   1/3 भंवरी पुत्री स्व. गटिया पत्नी ढलाराम जाति देवासी निवासी जोजावर तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
   1/4 रेखा पुत्री स्व. गटिया पिता तोलाराम जाति देवासी निवासी वणदार ढाणी तहसील रानी जिला पाली
2. ग्राम पंचायत वणदार जरिये सरपंच तहसील रानी जिला पाली राज.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/4 की ओर से अधिवक्ता श्री चेतन कुमार चौहान।

—: निर्णय :—

दिनांक : 30/04/2026

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत वणदार द्वारा मिसल संख्या 56/2004—05, संकल्प संख्या 04 दिनांक 20.10.2004 एवं संकल्प संख्या निल दिनांक 05.12.2004 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 5331 दिनांक 15.12.2004 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी का पट्टा सुदा पुराना भूखण्ड ग्राम पंचायत में स्थित है, जिसके

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पड़ौस पूर्व दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में रास्ता व दरवाजा, उत्तर दिशा में गमनाराम देवासी का मकान तथा दक्षिण दिशा में विद्यालय की पड़त भूमि है। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा सुदा भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। अप्रार्थी प्रश्नगत पट्टे की आड़ में जैर निगरानी आराजी पर निर्माण करने को आतुर है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष कोई आवेदन पेश नही किया। ग्राम पंचायत ने बिना किसी आवेदन के जैर आराजी का पट्टा बनाने हेतु भूमि का नक्शा बनाने हेतु दिनांक 20.09.2004 को आदेश पारित कर दिया। प्रकरण में जारी आपत्ति नोटिस पर न तो दिनांक अंकित है, न ही गवाहों के हस्ताक्षर है। साथ ही मिसल की आदेशिका में कांट–छांट की गई है। पट्टा दिनांक 15.12.2004 को जारी किया गया है जबकि उक्त पट्टे पर जारी होने का प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 20.10.2004 अंकित है परन्तु उक्त दिनांक की आदेशिका में एक माह का आपत्ति नोटिस जारी होने के तथ्य अंकित है। ग्राम पंचायत ने बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये, बिना कोई नक्शा बनाये, बिना कोई पंचों की कमेटी गठित किए, बिना कोई आपत्ति आमंत्रित किये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रक्रिया की पूर्णतया अवहेलना है, इसलिये विधिविरूद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थी का पिछले 50 वर्षों से कब्जा है तथा उक्त भूमि आबादी क्षेत्र में स्थित है। मेरी भूमि को छोड़कर शेष भूमि ओरण है, जिसका पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। वर्तमान में उक्त भूमि सरकारी विद्यालय के काम आ रही है। ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि में स्थित जैर निगरानी आराजी का प्रश्नगत पट्टा जारी किया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा आवेदन पेश करने पर ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत नियमों की अनुपालना में विधिनुसार प्रश्नगत भूमि का नक्शा तैयार कर, तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करवाकर, आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा होने एवं विधिक प्रावधानों की पालना होने पर ग्राम पंचायत ने नियमानुसार जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी को केवल परेशान करने की नियत से प्रार्थी ने बिना किसी उचित विधिक प्रावधानों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत वणदार द्वारा मिसल संख्या 56/2004–05, संकल्प संख्या 04 दिनांक 20.10.2004 एवं संकल्प संख्या निल दिनांक 05.12.2004 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 5331 दिनांक 15.12.2004 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने पूर्व के जारी पट्टेसुदा भूमि को शामिल करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। इस उज्र का खण्डन करते हुये विपक्षी अधिवक्ता ने कथन किया कि ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी के पुराने कब्जे के आधार पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाते है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी स्व. लाबूराम के पक्ष में मिसल संख्या 12/99–2000 की पालना में पट्टा संख्या 2541 दिनांक 10.08.1999 को जारी किया गया है, जिसके पड़ौस

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पूर्व दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में रास्ता व दरवाजा, उत्तर दिशा में गमनाराम देवासी का मकान तथा दक्षिण दिशा में विद्यालय की पड़त भूमि अंकित है, जिसका क्षेत्रफल 14300 वर्गफीट है। इसी प्रकार जैर निगरानी पट्टा जो कि वर्ष 2004 में जारी किया गया है, के पड़ौस में पूर्व दिशा में पड़त भूमि, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में गमना देवासी का मकान तथा दक्षिण दिशा में मामाजी का ओरण स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि दोनों पट्टों के पड़ौस एकसमान है, जिससे यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत ने वर्ष 1999 में जारी पट्टे के किसी विशेष हिस्से पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। उपर्युक्त दोनों पट्टों के पड़ौसों का तुलनात्मक परीक्षण करने पर यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि दोनों के पड़ौस में पर्याप्त समानता विद्यमान है, विशेषकर उत्तर दिशा में गमनाराम देवासी का मकान, पश्चिम एवं पूर्व दिशा में मार्ग/पड़त भूमि तथा दक्षिण दिशा में सार्वजनिक उपयोग की भूमि का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत निगरानी संख्या 36/2021 अनवान तोलाराम बनाम लाबूराम व अन्य में स्वयं की यह स्वीकारोक्ति है कि "मेरे कब्जा सुदा भूखण्ड 45 बाई 30 फीट क्षेत्रफल की भूमि को शामिल करते हुये ग्राम पंचायत ने लाबूराम के पक्ष में पट्टा संख्या 2541 जारी कर दिया। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में अधिवक्ता अप्रार्थी का यह स्वीकृत कथन है कि प्रश्नगत भूमि का पूर्व में पट्टा जारी किया जा चुका है, तो उस तथ्य को पुनः साबित करने की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त RLW 2003(3) Raj. 1891 Madan lal vs Legal Representatives of Late Ram Prasad के अनुसार Evidence Act, 1872, Sec. 58-Facts admitted need not be proved-When there is a very specific and categorical admission of fact of the parties then that admission can be used against the party making the admission. इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्ष 2004 में जारी जैर निगरानी पट्टा, वर्ष 1999 में जारी पूर्व पट्टेसुदा भूमि के ही किसी भाग पर निर्गत किया गया है। यदि किसी भूमि के पहला पट्टा अस्तीत्व में रहते हुये उसी भूमि का बाद में कोई दूसरा पट्टा जारी किया जाता है जो पहले पट्टाधारी के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो यह विधि सम्मत नहीं होगा और रद्द किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान राज्य बनाम लक्ष्मणसिंह (2018) में यह स्पष्ट किया कि एक भूमि पर दो पट्टे जारी करना अधिकारों का दुरूपयोग है। इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त सीताराम बनाम राजस्थान सरकार (2019) में माननीय न्यायालय ने अंकित किया कि भूमि पट्टों में द्वैत अधिकार नहीं बन सकते, यदि ऐसा होता है तो बाद में जारी पट्टे को अवैध माना जाएगा तथा मधु सुकन्या बनाम ग्राम पंचायत (2019) में माननीय न्यायालय ने यह कहा कि पट्टों की स्थिति में प्राथमिक पट्टा वैध माना जाएगा और दूसरा पट्टा रद्द किया जाएगा अर्थात भूमि के पट्टों का दोहरीकरण न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह सार्वजनिक हितों के खिलाफ भी है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अनुसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।"

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत के पत्र दिनांक 15.11.2025 के अनुसार जैर निगरानी पट्टे का रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उलपब्ध नहीं होना भी पट्टे की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह् अंकित करता है। भूमि का पट्टा तभी वैध माना ज़ाता है जब वह स्पष्ट रूप से भूमि की सीमाएं, स्वामित्व और उपयोग के अधिकारों को प्रमाणित करता हो। राजस्थान पंचायती राज एक्ट और सम्बन्धित नियमों के अनुसार, पट्टा जारी करते समय उसका पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होता है। रिकॉर्ड के बिना पट्टा जारी करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है क्योंकि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही खत्म हो जाती है। बिना रिकॉर्ड के जारी पट्टे की वैधता संदिग्ध होती है। इसका अर्थ है कि पट्टा फर्जी, गलत या भ्रष्टाचार से प्रभावित हो सकता है। ग्राम पंचायत के पास पट्टे का पूरा रिकॉर्ड होना अनिवार्य है। यदि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो यह पट्टा जारी करने में प्रक्रिया का उल्लंघन माना जाएगा, बिना उचित दस्तावेज के पट्टा अस्वीकार्य होता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त AIR 1997 SC 1125 L. Chandra Kumar vs Union of India में स्पष्ट किया कि पट्टे के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और उचित रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त Ram singh vs State of UP, 2015 के अनुसार पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड का होना अनिवार्य है। बिना रिकॉर्ड के पट्टा की वैधता नहीं मानी जाएगी। ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड का गायब होना जानबूझकर दस्तावेजों से छेडछाड की आशंका को जन्म देता है, इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने 1957 AIR 882 Union of India vs T.R. Varma में स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड की अनुपलब्धता स्वयं में जांच का आधार है, खासकर जब वह किसी विवादित निर्णय से सम्बन्धित हो। इसी तरह 2003 RLW 1119 Ramchandra vs State of Rajasthan में यह अंकित किया कि यदि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा बिना वैध रिकॉर्ड के या बिना अधिसूचना के जारी किया गया है, तो वह आदेश कानूनन टिक नहीं सकता। यहां पर माननीय न्यायायल के न्यायिक दृष्टान्त AIR 1958 SC 32 M.C. Chockalingam vs Union of India में प्रतिपादित सिद्धान्त को उद्धत करना समीचीन प्रतीत होता है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि भूमि पट्टों के मामलों में पारदर्शिता और नियमों का पालन आवश्यक है, अन्यथा पट्टा रद्द किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया कि यदि पट्टे के साथ सम्बन्धित कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो पट्टे को संदिग्ध माना जाएगा और वह रद्द किया जा सकता है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेशों में पारदर्शिता और रिकॉर्ड रखरखाव को जरूरी बताया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ही नहीं है, जो प्रकरण को संदेहास्पद बनाता है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत पट्टे की मिसल की प्रतिलिपि का सूक्ष्म अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 158 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु कोई विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी आवेदन के ही पट्टे की मिसल दर्ज कर आदेशिका दिनांक 20.09.2004 के माध्यम से सम्बन्धित भूमि का नक्शा तैयार करने के आदेश जारी कर दिए गए, जो कि प्रथम दृष्टया प्रक्रिया की वैद्यता पर प्रश्नचिह्न उत्पन्न करता है। प्रकरण में यह पाया गया है कि अप्रार्थी द्वारा नियमानुसार निर्धारित शुल्कों का कोई भुगतान नहीं किया गया और न ही इस सम्बन्ध में कोई प्रविष्टि अथवा अन्य अभिलेखीय प्रमाण पत्रावली के संलग्न है। नक्शे में आवश्यक एवं अनिवार्य विवरणों का स्पष्ट अभाव दृष्टिगोचर होता है, जिससे उसकी वैद्यता एवं विश्वसनीयता सन्देहास्पद हो जाती है। विशेष रूप से यह पाया गया कि नक्शे पर भूमि की भुजाओं का माप तथा पड़ौस अंकित नहीं किये गये है, जिससे सम्बन्धित भूखण्ड की वास्तविक स्थिति एवं क्षेत्रफल का निर्धारण करना सम्भव नहीं है, यह कमी भूमि की पहचान एवं सीमांकन के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जैर निगरानी भूमि के स्थल निरीक्षण हेतु ग्राम पंचायत द्वारा मात्र दो पंचों को नियुक्त किया गया जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज नियम 146 के उपबंध (2) के अनुसार स्थल निरीक्षण के लिए तीन पंचों की समिति का विधिवत गठन किया जाना आवश्यक है, जिसे पंचायत की बैठक में अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, मात्र दो पंचों की नियुक्ति करना नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2009 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. इसी प्रकार अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में मिसल की आदेशिका दिनांक 20.10.2004 तथा उससे सम्बन्धित आपत्ति नोटिस का परीक्षण करने पर यह तथ्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में एक माह का आपत्ति नोटिस जारी करने

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

के आदेश तो पारित किए गए, किन्तु उक्त आदेश की पालना में जारी नोटिस पर न तो किसी दिनांक का अंकन है और न ही नोटिस से यह स्पष्ट होता है कि वह किस स्थल का जारी किया गया है। प्रश्नगत पट्टे एवं सम्बन्धित मिसल का परीक्षण करने पर एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आता है, जो सम्पूर्ण कार्यवाही की विश्वसनीयता पर गम्भीर प्रश्नचिह्न अंकित करता है। पट्टे में यह अंकित किया गया है कि उक्त पट्टा संकल्प संख्या 4 दिनांक 20.10.2004 की पालना में जारी किया गया है, जबकि उसी पट्टे पर अन्य प्रस्ताव संख्या निल दिनांक 05.12.2004 का भी अंकन किया गया है। इस प्रकार एक ही पट्टे में भिन्न–भिन्न तिथियों एवं प्रस्तावों का उल्लेख किया जाना अभिलेखीय दृष्टि से स्पष्ट विरोधाभास को दर्शाता है। इसी सन्दर्भ में जब मिसल की आदेशिका दिनांक 20.10.2004 का अवलोकन किया जाता है, तो यह तथ्य सामने आता है कि उक्त दिनांक को प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में एक माह का आपत्ति नोटिस जारी किया जाना अंकित है। विधिसम्मत प्रक्रिया के अनुसार, किसी भी भूमि के सम्बन्ध में आपत्ति हेतु जारी नोटिस के पश्चात् निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरान्त ही आगे की कार्यवाही पर निर्णय किया जा सकता है किन्तु वर्तमान प्रकरण में यह अत्यंत विधिविरूद्ध स्थिति पाई गई है कि जिस दिनांक 20.10.2004 को एक माह का आपत्ति नोटिस जारी किया जाना दर्शाया गया है, उसी दिनांक को पट्टा जारी करने हेतु संकल्प का उल्लेख पट्टे पर किया गया है। यह तथ्य न केवल प्रक्रियात्मक दृष्टि से असम्भव है बल्कि यह भी इंगित करता है कि या तो आपत्ति नोटिस वास्तव में जारी नहीं किया गया, अथवा अभिलेखों में बाद में हेरफेर कर उसे दर्शाने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त पट्टे पर दिनांक 05.12.2004 का भी उल्लेख किया गया है, जो कि पुनः एक अलग प्रस्ताव की ओर संकेत करता है परन्तु इस सम्बन्ध में अभिलेखों में स्पष्टता का अभाव है। इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ (Raj) 458 Dhanraj and Anr vs Additional Collector, Ganganagar & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 255 से 265–आबादी भूमि के विक्रय हेतु विस्तार से प्रक्रिया प्रकट है–प्रस्तुत मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई–भूमि क्रय करने हेतु आमंत्रण नहीं मांगें गए, कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई–कोई आपत्तियॉ भी नहीं मांगी गई और न सार्वजनिक निलाम ही हुआ, अभिनिर्धारित, यह तो स्पष्ट रूप से नियमों का ही अतिक्रमण न होकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी अतिक्रमण है–विक्रय को अभिखण्डित किया गया। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त RRT 2003(1) page 174 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 142 से 157–पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 63 व 97–आपसी बातचीत से आबादी भूमि विक्रय की–जब तक नियम 156 में दी गई शर्तों की पालना न हो तब तक भूमि विक्रय नहीं की जा सकती और न पट्टा जारी किया जा संकता–प्रार्थी पिछले 15 वर्षों से भूमि के अधिपत्य में है इस आधार पर भी भूमि आपसी बातचीत से विक्रय नहीं की जा सकती–नियम 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं–अपर कलेक्टर ने विक्रय को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के समेकित विश्लेषण से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि प्रश्नगत पट्टा विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, नियमों की अवहेलना करते हुए तथा मनमाने एवं अपारदर्शी तरीके से पूर्व से जारी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

पट्टा सुदा आराजी पर जारी किया है, जो विधि की दृष्टि में टिकाउ नहीं है। इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत वणदार द्वारा मिसल संख्या 56/2004–05, संकल्प संख्या 04 दिनांक 20.10.2004 एवं संकल्प संख्या निल दिनांक 05.12.2004 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 5331 दिनांक 15.12.2004 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/04/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली